Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत: उपखण्ड अधिकारी मुकाम: बयाना

बनाम: श्रीमती [illegible] आदि बनाम: चतुर्भुज [illegible]

मुकदमा: प्रा0 प्र0 नं. Act नं. 318/22 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18/11/22	एक प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 91 Act के तहत पेश किया। हमने एक प्रार्थी को एक-पक्षीय सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण तथ्यों से स्पष्ट प्रार्थीगण के हक में कायम आता है कि अग्रिम मूल कब्जे विगत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दि. 23/2/23 तक इस आदेश का जारी किया जाता है कि प्रार्थीगण पत्र की मद सं. 03 में वर्णित आराजीयात वाद ग्राम बयाना के वादीगण/प्रार्थीगण की आराजी में किसी तरह मदाखलत गैरकानूनी नहीं करे। इस वाक्य कोई अपील हो तो जिला तथा सेशन जज न्यायालय डीग या डीग हो प्रकरण दायर किया हो। अग्रिमादेश की जारी तारीख तक प्रकरण दि. 23/2/23 को पेश हो।	

पीठासीन अधिकारी ..... हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/10 को पेश हो
23

रीडर
एस.डी.ओ. एस.डी.एम. बयाना

तारीख	कार्यवाही	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	पीठासीन अधिकारी ..... के समक्ष प्रस्तुत	[illegible]
[illegible]	पीठासीन अधिकारी ..... के समक्ष प्रस्तुत	[illegible]
[illegible]	प्रमाण आज पेश हुआ। प्रमाण में वादी व उसके गवाह उपस्थित। माननीय अदालत ने प्रमाण के सम्बन्ध में बार-बार आवाज लगवाई गई। आवाज उपरान्त भी प्रमाण में कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रमाण इसी स्तर पर अदम पैरवी एवं अदम पैरवी के मद्देनजर किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमारी नम्बर के मद्देनजर दो बाद तामील नकील दस्तखत हो।	[illegible]